

पोत परिवहन मंत्रालय

लोकसभा ने एडिमरेल्टीर विधेयक, 2016 पारित किया

Posted On: 11 MAR 2017 8:29PM by PIB Delhi

लोकसभा द्वारा कल एडिमिरेल्टी (न्याय क्षेत्र एवं सामुद्रिक दावों के निपटान) विधेयक, 2016 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों के एडिमिरेल्टी न्याय क्षेत्र, सामुद्रिक दावों की एडिमिरेल्टी प्रक्रियाओं, पोतों की गिरफ्तारी एवं संबंधित मुद्धों से जुड़े वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने के लिए एक कानूनी संरचना की स्थापना करना है। इस विधेयक का उद्देश्य वैसे पुराने कानूनों का विस्थापन करना भी है जो कारगर प्रशासन की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह विधेयक भारत के तटीय राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों को एडिमिरेल्टी न्याय क्षेत्र प्रदान करता है और यह क्षेत्राधिकार प्रादेशिक जलों तक फैला है। इस विधेयक को संसद के शीत सत्र के दौरान पेश किया गया था और कल यह लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था।

वीके/एसकेजे/-685

(Release ID: 1484223) Visitor Counter: 12









in